

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम _____

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक:- _____

वित्तीय वर्ष _____ के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुति/ पुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____

पोस्ट आफिस _____ थाना _____

तहसील _____ जिला _____ राज्य _____

पिन कोड _____ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है.-

1. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
 2. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक का प्लॉट।
 3. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मूखण्ड।
 4. अधिसूचित नगरपालिका से इजर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय मूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जाति _____ के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर _____ (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम _____

पदनाम _____

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिट

(मजिस्ट्रेट / फरमानामाजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तहसील, जनपद

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी पुत्र
निवासी ग्राम, पोस्ट, तहसील,
जनपदका है। प्रार्थी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है
तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र (**Economically Weaker Section
Income Certificate**) हेतु सभी शर्तों को पूरा करता है।

अतः आप श्रीमान जी से आग्रह है कि उपरोक्त विषयक की जांच कर प्रार्थी
का **EWS** प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

प्रार्थी

.....

.....

.....

Affidavit of EWS Category

I _____ Son of Shri _____ resident of Vill-....., Post-, Tah-....., Dist-.....do hereby declare on oath as under:

(1) That I have not been able to get the EWS certificate issued by the Competent Authority.

(2) That I belong to Economically Weaker Section, since the gross annual income (Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.) of my family (including myself, my parents and siblings below the age of 18 years as also my spouse and children below the age of 18 years) is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year 20__-20__. My family does not own or possess any of the following assets (the property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status):

- i. 5 acres of agricultural land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

(3) That I belong to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

Deponent

Verification

I above named Deponent do hereby verify on oath that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein and no part of it is false.

Deponent

Application Form
For
Economically Weaker Section Income Certificate
For the Financial year _____

आवेदक का विवरण :-

आवेदक का नाम पिता का नाम
लिंग जन्म तिथि.....
आधार संख्या (वैकल्पिक).....
जाति श्रेणी उप जाति श्रेणी

वर्तमान पता :-

मकान नं स्थानीयता
गाँव जिला
राज्य पिनकोड

स्थायी पता:-

मकान नं स्थानीयता
गाँव जिला
राज्य पिनकोड
मोबाइल नंबर मेल आईडी
राशन कार्ड संख्या

आय का विवरण :-

आवेदन के वित्तीय वर्ष वर्ष से पहले (आवेदक/आवेदिका/उसकी परिवार) की आय सकल वार्षिक आय में वेतन, कृषि, व्यवसाय, व्यवसाय आदि शामिल हैं की आय (रुपए में)

संपत्ति की जानकारी (आवेदक/आवेदिका/उसका परिवार) :-

- 1) 5 एकड़ कृषि भूमि या उससे अधिक : हाँ/नहीं
 - 2) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट : हाँ/नहीं
 - 3) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड : हाँ/नहीं
 - 4) आवासीय भूखंड के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का अधिसूचित भूमि : हाँ/नहीं
- नोट : आरक्षण के अनुसार, इस योजना के लिए वह व्यक्ति शामिल होगा, जो लाभ

प्राप्त करना चाहता है, उसका/उसके भाई-बहन व बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं।

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :-

- 1) आवेदन पत्र।
- 2) राशन कार्ड/निर्वाचन कार्ड/आधार कार्ड
- 3) आईटी रिटर्न/पे स्लिप की कॉपी (अन्य दस्तावेजों में से कोई भी)
- 4) शपथ पत्र

नोट-

- 1) मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त सभी मेरी जानकारी में सही व सत्य है। यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है, तो मैं इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
- 2) मैं एससी/एसटी और ओबीसी जाति से संबंधित नहीं हूँ।

आवेदक/अवेदिका का
हस्ताक्षर